

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 16 वर्ष 2024

आवेदक—मो० रीता देवी
 ग्राम—दुग्दा,
 थाना—दुग्दा, जिला—बोकारो

क्रेता—राज कुमार प्रभंजन
 ग्राम—बुढीडिह,
 थाना—दुग्दा, जिला—बोकारो

आदेश की
 क्र० सं० एवं
 तारीख
 01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
 कार्रवाई के बारे
 टिप्पणी तारीख
 साथ।

03

आदेश

यह वाद आवेदक मो० रीता देवी, पति—स्व० देवनन्दन मंडल, निवास ग्राम—दुग्दा, थाना—दुग्दा, जिला—बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:—

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
दुग्दा	114	253	1248	0.10 ए०	0.10 ए०	धान III

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 19,10,000/रु०—(उन्नीस लाख दस हजार) रुपये में क्रेता राज कुमार प्रभंजन पिता—श्री मुनी लाल प्रभंजन, निवास ग्राम—बुढीडिह, थाना—दुग्दा, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक:—40/रा०, दिनांक 24.01.24 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा के पत्रांक:—89, दिनांक 07.02.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:—

01. बिक्रेता केवट एवं क्रेता कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में चण्डी ओझा के नाम से दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी—II के पृष्ठ सं० 193/9 में देवनन्दन मंडल पिता स्व० भीखन मंडल के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023—24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार दाखिल खारिज वाद सं० 02/03—04 है।
03. बिक्रेता को उक्त भूमि केवाला सं० 4311 दिनांक:—18.12.92 के द्वारा खरीदगी हासिल हैं। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन का सर्वे खतियान में चण्डी ओझा का नाम दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी—II के पृष्ठ सं० 193/9 में देवनन्दन मंडल पिता स्व० भीखन मंडल के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023—24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार दाखिल खारिज वाद सं० 02/03—04 है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद

नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति है, लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता केवट एवं क्रेता कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हक-हिस्से की जमीन है, जो केवाला के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक मो० रीता देवी, पति-स्व० देवनन्दन मंडल, निवास ग्राम-दुग्दा, थाना- दुग्दा, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खा ता न०	प्लॉट न ०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द०सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
दुग्दा, 114	253	1248	0.10 ए०	0.10 ए०	जय कुमार ओझा	देवेन्द्र ओझा	हिरक रोड	जय कुमार ओझा
कुल				10 डी० (दस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 19,10,000/- (उन्नीस लाख दस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता राज कुमार प्रभंजन पिता-श्री मुनी लाल प्रभंजन, निवास ग्राम-बुढीडिह, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।